[2019] 14 एससीसीआर। 69

सतेंद्र सिंह भसीन

वी।
दिल्ली और ओआरएस के एनसीटी का शासन।

(रिट याचिका (आपराधिक) सं। 242 का 2019) नवंबर 06,2019

[एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी, जेजे।]

भारत का संविधानः कला। 32-एफआईआर यू. पी. राज्य में दर्ज की गई। और दिल्ली के एनसीटी राज्य में-रिट याचिका यू/आर्ट। संविधान के 32-सभी एफआईआर की जांच करने के लिए सीबीआई को निर्देश देने वाले मंडामस की रिट की मांग-विकल्प में सभी एफआईआर को समेकित करने और एक एजेंसी को सौंपने की मांग की गई-याचिकाकर्ता ने सभी एफआईआर में जमानत की अंतरिम राहत और रहने की मांग की एफआईआर में कार्यवाही-हेल्डः सीबीआई को एफआईआर का हस्तांतरण और सभी एफआईआर का समेकन मुझे नहीं है
मामले के तथ्यों पर विचार-मामले के समग्र दृष्टिकोण में, याचिकाकर्ता को कुछ शर्तों के अधीन सभी मामलों में जमानत दी जाती है-जैसा कि कार्यवाही के रहने की राहत का संबंध है, यह केवल एफआईआर के संबंध में दी गई है दिल्ली के एनसीटी राज्य में पंजीकृत-यू. पी. राज्य में दर्ज एफआईआर में कार्यवाही। रहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी एफआईआर की जांच एक एजेंसी यानी द्वारा की जा रही है। राज्य द्वारा गठित एसआईटी-जमानत-अंतरिम चोट। नरिंदर
यह सिंह साहनी और अनर। वी। भारत और ओआरएस संघ। (2002) 2 एससीसी 210: [2001] 4 सप्ल। एससीआर 114; पंजाब राज्य और अनर। वी। राजेश स्याल (2002) 8 एससीसीः [2002] 3 सप्ल। एससीआर 124; सुरिंदर सिंह अलघ बनाम भारत और ओआरएस संघ। (2019) 10 एससीसी 807-संदर्भित। केस लॉ संदर्भ [2001] 4 सप्ल। एससीआर 114 को पैरा 3 [2002] 3 सप्ल के लिए संदर्भित किया गया। एससीआर 124 को पैरा 3 (2019) 10 एससीसी 807 को पैरा 5 69 के लिए संदर्भित किया गया

आपराधिक मूल न्यायाधिकरणः रिट याचिका

(क्रिमिनल) नं। 2019 का 242।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत]

मुकुल रोहतगी, सीनियर सलाहकार।, समीर रोहतगी, निखिल भल्ला, लोकेश भोला, अभिमन्यु भंडारी, सुश्री नूपुर कुमार, श्री संचित गौरी, शिवेंद्र सिंह, आरुष भाटिया, सुश्री प्रियंका इंद्रा शर्मा, सुनील फर्नांडिस, सलाहकार। याचिकाकर्ता के लिए।

केएम नटराज, एएसजी, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, यू. पी. के लिए एएजी, सुश्री गीता लूथरा, सिद्धार्थ दवे, सीनियर अधिवक्ता।, चिराग एम। श्रॉफ, सुश्री महिमा सी। श्रॉफ, सुश्री यशिका वर्मा, सुश्री रिया थॉमस, सर्वेश सिंह बघेल, प्रणव कश्यप, सुश्री दिव्या शर्मा,

गोपाल झा, गोपाल प्रसाद, सुश्री शल्य अग्रवाल, आर. वी. कपूर, पारिजात किशोर, सुश्री प्रेरणा सिंह, गुंटूर प्रमोद कुमार, सुश्री अवनी शर्मा, राकेश क्र। सिंह, विजय प्रताप सिंह, प्रेम प्रकाश, सुमेर सोढी, रविन्द्र कुमार यादव, विनय मोहन शर्मा, विनायक शर्मा, सुश्री श्रेया शर
मा, जैनेंद्र कुमार ओझा, सुची सिंह, संजय कुमार दुबे, सुश्री निधि, कुमार शशांक, शगुफा सलीम, निवेश कुमार, वी. वी. गौतम, प्रशांत क्र। दुबे, श्री पाल सिंह, सुश्री गौरी ऋषि, प्रणव गुप्ता, अविनाश शर्मा, मनोज के। मिश्रा, उमेश दुबे, सुश्री ज्योति मिश्रा, सुकुमार, एस. एस. घंगरा, दीपब्रत बटब्याल, डॉ. अमरदीप गौर, मैसर्स। वी। माहेश्वरी एंड कंपनी, संजय कुमार त्यागी, सुश्री मंजू जेटली, अंकित गोयल, राघवेन्द्र कुमार, एसके वर्मा, सुश्री अस्मिता नरूला, विशाल प्रसाद, श्री प्रकाश सिन्हा, राकेश मिश्रा, सुश्री मोहना सिन्हा, नरेंद्र क्र।, सुश्री मरीना व्हीलर, शेखर कुमार, मुकेश कुमार, सुश्री अपर्णा त्रिवेदी, आशुतोष मोहन, राघवेंद्र मोहन बजाज, श्रीमती गरिमा बजाज, श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी, ओ. पी. भदानी, अर्पित माहेश्वरी, सुश्री रंजन नारायण, शैलेश मडियाल, कार्तिक आनंद, सुधांशु प्रकाश, चंद्र शेखर, प्रशांत शेखर, संजय क्र। त्यागी, मनीष मल्होत्रा, सलाहकार। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1. इस आदेश के द्वारा, हम इस रिट याचिका के प्रार्थना खंड (सी) और (डी) के संदर्भ में अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना का निपटान करने का प्रस्ताव करते हैं। प्रार्थना खंड (सी) के संदर्भ में, याचिकाकर्ता ने पुलिस स्टेशन कासना, गौतमबुद्धनगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश और पुलिस स्टेशन आर्थिक अपराध शाखा और संसद मार्ग नई दिल्ली और अन्य सभी एफआईआर जो याचिकाकर्ता के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य और एनसीटी दिल्ली राज्य में दर्ज की गई हैं, लेकिन याचिकाकर्ता की जानकारी में नहीं हैं और कोई अन्य एफआईआर जो रिट याचिका के लंबित रहते हुए इस न्यायालय या याचिकाकर्ता के संज्ञान में आती हैं, के संबंध में जमानत देने की प्रार्थना की है।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (डी) और 21 के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत याचिकाकर्ता ने परमादेश द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को यह निर्देशित करने का आग्रह किया है कि वह याचिकाकर्ता के विरुद्ध क्रमशः उत्तर प्रदेश राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में "ग्रैंड वेनिस" नाम की परियोजना के संबंध में दर्ज सभी एफआईआर की जांच करे तथा उन सभी अनुबंधों जिनके द्वारा कंपनी (जिसमें याचिकाकर्ता स्वयं निदेशक है) ने संबंधित पक्ष को मॉल तथा व्यवसायिक टावर (जैसा भी केस हो) में इकाई बेचने की बात हो की भी जांच करें। इसके अतिरिक्त यह प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न समयावधि में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को एक साथ एकत्र कर इसकी जांच एक ही एजेंसी द्वारा करवाई जाए जिससे कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक कृत्य का संचारण एक ही स्थान पर चले।

3. जहां तक सभी एफआईआर की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने का संबंध है, हमारी राय में, मामले के तथ्य ऐसी राहत की गारंटी नहीं देते हैं। इसी तरह, याचिकाकर्ता द्वारा सभी एफआईआर को समेकित करने के लिए वैकल्पिक राहत का पहला भाग, प्रथम दृष्टया, हमारी राय में, विचार के योग्य नहीं है। हालाँकि, वैकल्पिक राहत के दूसरे भाग में दोनों पक्षों और उत्तर प्रदेश राज्य और एनसीटी दिल्ली राज्य के विद्वान वकील द्वारा बार में दी गई दलीलों के आलोक में गहन विचार की आवश्यकता हो सकती है। प्रथम दृष्टया, निर्णय ने नरिंदरजीत सिंह साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में

इस राहत का विरोध करने के लिए दबाव डाला परंतु यह एफआईआर को स्थानांतरित करके और उसकी जांच को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करके एक राज्य में सभी एफआईआर की जांच एक एजेंसी को सौंपने की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं करता है। यह एक बहस का मुद्दा प्रतीत होता है। हमारा ध्यान पंजाब राज्य व अन्य बनाम राजेश सयाल के वाद में तीन न्यायाधीशों की एक अन्य पीठ के फैसले की ओर भी आकर्षित किया गया है। जैसा कि पूर्वोक्त कहा गया है, वैकल्पिक मूल प्रार्थना का दूसरा भाग एक बहस का मुद्दा होने के कारण उचित स्तर पर विचार किया जाएगा।

4. विशेष रूप से प्रार्थना खंड (सी) के संदर्भ में दावा की गई अंतरिम राहत पर लौटते हुए, इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है: "यहां एफआईआर नंबर 140/2019, एफआईआर नंबर 273/2019, एफआईआर नंबर 249/2019, एफआईआर नंबर 275/2019, एफआईआर नंबर 248/2019, एफआईआर नंबर 249/2019, एफआईआर नंबर 252/2019, एफआईआर नंबर 274/2019, एफआईआर नंबर 262/2019, एफआईआर नंबर 244/2019, एफआईआर नंबर 276/ 2019, एफआईआर नंबर 278/2019, एफआईआर नंबर 245/2019, 257/2019, एफआईआर नंबर एफआईआर नंबर 313/2019, एफआईआर नंबर 309/2019, एफआईआर नंबर 258/2019, एफआईआर नंबर 251/2019 , 272/2019 सभी पी.एस. कासना, गौतमबुद्धनगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में याचिकाकर्ता को जमानत दें। अन्य सभी एफआईआर जो याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज की गई हैं, लेकिन याचिकाकर्ता की जानकारी में नहीं हैं और कोई अन्य एफआईआर जो इस माननीय न्यायालय या याचिकाकर्ता की जानकारी में इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान आती हैं, ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें यह माननीय न्यायालय उपयुक्त और उचित समझे, इस माननीय न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में किए गए किसी भी आदेश या कार्यवाही या लंबित आवेदनों के बावजूद।

5. रिकॉर्ड पर दायर दलीलों और हलफनामों से यह पता चला है कि पुलिस स्टेशन कासना, गौतमबुद्धनगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में दर्ज 17 एफआईआर के संबंध में जमानत देने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को संबंधित न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया है। उन आदेशों को चुनौती नहीं दी गयी है लेकिन रिट याचिका में यह आग्रह किया गया है कि याचिकाकर्ता को अलग-अलग जमानत आवेदन दायर करने के लिए कहने के बजाय, यह अदालत अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, उस संबंध में एक सामान्य प्रार्थना पर विचार कर सकती है और याचिकाकर्ता को इस न्यायालय की एक अन्य पीठ द्वारा हाल ही में सुरिंदर सिंह अलघ बनाम भारत संघ और अन्य में इसी तरह की स्थिति में दी गई जमानत के आधार पर जमानत दे सकती है।

6. उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से दायर हलफनामे से यह पता चला है कि सभी 17 मामलों में जहां जमानत आवेदन खारिज कर दिए गए हैं, और, एक अन्य मामले में, जहां जमानत आवेदन संबंधित न्यायालय के समक्ष लंबित है, आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं। यह भी देखा गया है कि पुलिस स्टेशन कासना, गौतमबुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में दर्ज 37 मामलों में से याचिकाकर्ता को 11 मामलों में जमानत दी गई है और आठ मामलों में अभी भी जांच चल रही है। इसी तरह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में पांच एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से तीन पुलिस स्टेशन पार्लियामेंट स्ट्रीट में और दो आर्थिक अपराध शाखा, नई दिल्ली में दर्ज हैं। उन एफआईआर में तीन मामलों में याचिकाकर्ता को संबंधित कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

7. संबंधित पुलिस स्टेशनों के समक्ष दायर सभी अलग-अलग एफआईआर में आरोपों से यह भी देखा गया है कि वे समान नहीं तो लगभग समान या स्टीरियो प्रकार के हैं; और अनिवार्य रूप से संबंधित इकाइयों के संबंध में सुनिश्चित पट्टा

किराया/सुनिश्चित रिटर्न सहित संबंधित शिकायतकर्ता/आवंटियों को इकाइयों का कब्जा न दिए जाने के बारे में शिकायतें हैं। अलग-अलग एफआईआर में अन्य सामान्य पहलू आश्वासन के अनुसार परियोजना के पूरा न होने और प्रश्न में परियोजना को पूरा करने के लिए जुटाए गए धन की हेराफेरी के बारे में है। आम आरोप उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) के अधिकारियों द्वारा कंपनी को भूमि आवंटन में वैधता या अनुचितता के बारे में भी है। हालाँकि, बाद वाला आरोप केवल उत्तर प्रदेश राज्य में दर्ज एफआईआर में आम है। गौरतलब है कि थाना कासना में दर्ज एफआईआर की जांच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपी गई है। इस हद तक, उत्तर प्रदेश राज्य में दर्ज सभी 37 एफआईआर की जांच एक एजेंसी द्वारा की जा रही है और उस एजेंसी ने अब तक लगभग 28 मामलों में आरोप पत्र दायर किया है।

8. हमने यह भी देखा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में समान आरोपों के साथ दर्ज पांच मामलों में, कासना एफआईआर में 91 मुखबिरों में से 72 दिल्ली में आर्थिक अपराध शाखा के साथ दर्ज एफआईआर में भी मुखबिर हैं। दरअसल, आम मुखबिरों ने स्पष्टीकरण पेश किया है कि वे किन परिस्थितियों में कासना पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में पार्टी/शिकायतकर्ता बने। फिलहाल हमारे लिए उस विवाद की जांच करना जरूरी नहीं है।

9. यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि दिल्ली में सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय (सीएमएम/एनडी/पटियाला हाउस कोर्ट) द्वारा दी गई जमानत में याचिकाकर्ता द्वारा पालन की जाने वाली कठिन शर्तें लगाई गई हैं, जैसा कि 15 मई, 2019 के आदेश से देखा गया है। यह अलग बात है कि याचिकाकर्ता किसी भी जमानत का लाभ नहीं उठा सका है और 12 फरवरी, 2019 से विभिन्न स्थानों पर दर्ज की गई लगातार एफआईआर और समय-समय पर विभिन्न पुलिस स्टेशनों के द्वारा जारी किए गए हिरासत वारंट के कारण हिरासत में है।

10. दूसरी ओर, याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह आरोप कि परियोजना, विशेष रूप से मॉल और वाणिज्यिक टॉवर, जिसके संबंध में कथित एफआईआर दर्ज की गई है, अधूरी है, सही नहीं है। यूपीएसआईडीसी ने पहले ही 16 अप्रैल, 2015 को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिया है और साथ ही 3 मार्च, 2017 को मॉल और वाणिज्यिक टॉवर भाग के संबंध में पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की पूर्वव्यापी तारीख के साथ अधिभोग प्रमाण पत्र जारी कर दिया है, अर्थात, संपूर्ण परियोजना सिवाय होटल के भाग को छोड़कर। प्रार्थना खंड (सी) में रिट याचिका में उल्लिखित एफआईआर परियोजना के मॉल और वाणिज्यिक टॉवर की इकाइयों तक सीमित हैं, जिनके संबंध में अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि याचिकाकर्ता ने मॉल में 77 आवंटियों और कॉमर्शियल टॉवर में 245 आवंटियों को कब्जा दे दिया है। मॉल और कमर्शियल टॉवर पूरी तरह कार्यात्मक हैं और इन पर सिने अपील्स, बिग बाजार, बर्गर किंग, एचएंडएम आदि ब्रांडों का कब्जा है। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि जिन आवंटियों ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए दौड़ लगाई है, वे कब्जा लेने को तैयार नहीं हैं। अपनी इकाइयों का और शेष प्रतिफल राशि का भुगतान करने से इनकार कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, आवंटी संविदात्मक दायित्व के अपने हिस्से का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। जबकि, याचिकाकर्ता और कंपनी को एक ही विषय के लिए कंपनी न्यायाधीश [उच्च न्यायालय/राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी)] के समक्ष और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत संबंधित मंच के समक्ष कई कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है।

11. हमारे लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों या याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई प्रतिक्रिया की सत्यता की जांच करना आवश्यक नहीं है। यह देखना पर्याप्त है कि परियोजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में और कासना पुलिस स्टेशन (उत्तर प्रदेश राज्य) के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में स्थित है। अधिकांश मामले उक्त पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए हैं और संबंधित पुलिस स्टेशन समान रूप से पीड़ित व्यक्तियों से आगे की शिकायतें आमंत्रित कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं और यूपी राज्य द्वारा गठित एसआईटी द्वारा जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य की एसआईटी एक नए पहलू की जांच कर रही है जो जांच के दौरान यूपीएसआईडीसी के अधिकारियों के मिलीभगत और सहयोगात्मक कृत्यों की संभावना के बारे में सामने आया था। इस सब की जांच उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा गठित एसआईटी द्वारा की जा रही है, जिसने अब तक 28 एफआईआर में आरोप पत्र दायर किया है।

12. इसलिए, मामले पर समग्र रूप से विचार करते हुए, हम प्रार्थना खंड (सी) में उल्लिखित सभी एफआईआर और अन्य एफआईआर जिनमें परियोजना के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ "ग्रैंड वेनिस", विशेष रूप से, मॉल और वाणिज्यिक टॉवर, पुलिस स्टेशन कासना, गौतमबुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश या किसी अन्य पुलिस स्टेशन में पंजीकृत होने की संभावना है, उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्र और, इसी तरह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के पुलिस स्टेशनों, पुलिस स्टेशन पार्लियामेंट स्ट्रीट और आर्थिक अपराध शाखा नई दिल्ली द्वारा या अन्यथा दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में इस न्यायालय द्वारा सीधे जमानत पर रिहा करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थना की गई अंतरिम राहत देने के इच्छुक हैं।

13. प्रार्थना खंड (डी) में उल्लिखित एफआईआर से उत्पन्न याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही पर रोक की अंतरिम राहत के संबंध में, उस राहत पर केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में दर्ज एफआईआर के संबंध में विचार किया जा सकता है, चाहे वह आर्थिक अपराध शाखा से संबंधित हो या पुलिस स्टेशन संसद मार्ग, नई दिल्ली से। पुलिस स्टेशन कासना, गौतमबुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में दर्ज एफआईआर के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि इसकी जांच एक जांच एजेंसी, अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा गठित एसआईटी द्वारा की जा रही है। यदि उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर पुलिस स्टेशन कासना के अलावा किसी अन्य पुलिस स्टेशन में कोई एफआईआर पहले से ही दर्ज है, तो हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि एसआईटी उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर दर्ज ऐसी सभी एफआईआर की जांच करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

14. ध्यान रखें कि हम केवल नई दिल्ली में दर्ज एफआईआर से उत्पन्न होने वाली आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने के इच्छुक हैं क्योंकि दिल्ली में दर्ज एफआईआर में आरोपों का आधार समान है और इससे भी अधिक, जैसा कि ऊपर बताया गया है, दोनों राज्यों में 72 शिकायतकर्ता समान हैं। हालाँकि, यदि सलाह दी जाए तो हम नई दिल्ली में दर्ज एफआईआर के शेष मुखबिरों/शिकायतकर्ताओं को पुलिस स्टेशन कासना, गौतमबुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में अपनी शिकायत दर्ज कराने की अनुमति दे सकते हैं, जिसकी जांच उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा गठित एसआईटी द्वारा भी की जा सकती है।

15. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के भीतर दर्ज पांच मामलों में से एक में आरोप पत्र दायर किया गया है और यह इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है। हालाँकि, जब तक इस न्यायालय द्वारा पूरे मुद्दे पर बहस और विचार नहीं किया जाता है, तब तक न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में दर्ज या इसके बाद दर्ज की जाने वाली सभी एफआईआर के संबंध में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाना समीचीन होगा।

16. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित आधार पर रिट याचिका के प्रार्थना खंड (सी) और (डी) के संदर्भ में अंतरिम राहत के लिए प्रार्थनाओं का निपटान करते हैं:

(अ) याचिकाकर्ता को एनसीआर में "ग्रैंड वेनिस" नाम की परियोजना विशेष रूप से मॉल और वाणिज्यिक टॉवर के संबंध में प्रार्थना खंड (सी) में उल्लिखित सभी एफआईआर के संबंध में निम्नलिखित शर्तों पर जमानत दी जाती है:

(i) यहकि याचिकाकर्ता उस प्रकार का कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप लगाया गया है।

(ii) याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि ऐसे व्यक्ति को किसी भी पुलिस स्टेशन में ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) जब भी जांच अधिकारी या उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा गठित एसआईटी द्वारा बुलाया जाएगा तो याचिकाकर्ता आगे की जांच में शामिल होगा।

(iv) याचिकाकर्ता को आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपना पासपोर्ट इस न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा करना होगा। यदि यह कासना पुलिस स्टेशन या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के किसी पुलिस स्टेशन के पास है, तो संबंधित पुलिस स्टेशन उसी समय के भीतर याचिकाकर्ता का पासपोर्ट इस न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा कर देगा।

(v) याचिकाकर्ता को प्रत्येक सोमवार को सुबह 11:00 से दोपहर 12:00 के बीच उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा गठित एसआईटी द्वारा नामित जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा और जब भी बुलाया जाएगा संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा।

(vi) याचिकाकर्ता को जमानत देने की पूर्व शर्त के रूप में इस न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष 50,00,00,000 रुपये (केवल पचास करोड़ रुपये) की कुल राशि जमा करनी होगी। ऐसी राशि जमा करने पर, इस न्यायालय द्वारा जारी रसीद की प्रमाणित प्रति संबंधित न्यायालय/जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता द्वारा रजिस्ट्री में जमा की गई राशि को अगले आदेश तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में उचित ब्याज वाली जमा योजना में निवेश किया जाना चाहिए, जिसमें समय-समय पर जमा को नवीनीकृत करना भी शामिल है।

(vii) याचिकाकर्ता को स्वतंत्र रूप से प्रत्येक एफआईआर के संबंध में इतनी ही राशि की एक जमानत के साथ 5,00,000 रुपये (केवल पांच लाख रुपये) का व्यक्तिगत जमानत बांड प्रस्तुत करना होगा।

(viii) इस आदेश के अनुसार जमानत पर रिहा होने के बाद, याचिकाकर्ता संबंधित शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ताओं के दावों को यथासंभव छह से आठ महीने के भीतर निपटाने का हर संभव प्रयास करेगा जैसा कि आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस कोर्ट की अदालत ने 15 मई, 2019 के आदेश के तहत आर्थिक अपराध शाखा, नई दिल्ली में दर्ज एफआईआर संख्या 38/2018 में याचिकाकर्ता को जमानत देते हुए दिया है।

(ix) यदि याचिकाकर्ता जानबूझकर उपरोक्त किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है और यदि यह इस न्यायालय के समक्ष स्थापित है, तो इस आदेश के संदर्भ में उसके द्वारा इस न्यायालय में जमा की गई राशि का 50% से कम नहीं होगा [खंड (vi) उपरोक्त] जब्त कर लिया जाएगा।

(x) याचिकाकर्ता मामलों के शीघ्र निपटान के लिए आवश्यक होने पर संबंधित न्यायालय को पूर्ण सहयोग देगा।

(ब) पुलिस स्टेशन पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली या आर्थिक अपराध शाखा, नई दिल्ली में दर्ज एफआईआर या ग्रैंड वेनिस विशेष रूप से, मॉल और वाणिज्यिक टॉवर की इकाइयों से संबंधित परियोजना के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में पहले से ही दर्ज या इसके बाद दर्ज की जाने वाली किसी भी अन्य एफआईआर से उत्पन्न होने वाली सभी आगे की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक रहेगी।

17. रिट याचिका को 15 जनवरी, 2020 को आगे की सुनवाई के लिए अधिसूचित किया जाए। इस बीच, यदि सलाह दी जाए तो सभी संबंधित मुख्य रिट याचिका में उत्तर हलफनामे/प्रत्युत्तर हलफनामे दाखिल करेंगे।

अन्तरिम अनुतोष की प्रार्थना निस्तारित की जाती है।

(सिद्धार्थ वर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय